

राजस्थान सरकार


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, (SDM) बाड़मेर

क्रमांक: भण्डार/विविध/2018/ 1915

दिनांक :- 6.7.18

:- निलामी सूचना :-

इस कार्यालय में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री जिसका क्रय मूल्य 165885.00 अक्षरे एक लाख पैसठ हजार आठ सौ पिच्चियासी रूपये मात्र है, की निलामी इस कार्यालय परिसर में दिनांक 31.07.2018 (मंगलवार) को दोपहर 03.00 बजे से 05.00 बजे तक की जायेगी। निलामी "जहा है, जैसा है" के आधार पर होगी। इच्छुक बोलीदाता 3320.00 रु. धरोहर राशि जमा करवा कर निलामी बोली में भाग ले सकता है। निलामी की अन्य शर्तों का अवलोकन इस कार्यालय एवं ^{baumer} ~~www~~.rajasthan.gov.in पोर्टल पर किया जा सकता है।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, (SDM) बाड़मेर


क्रमांक: भण्डार/विविध/2018/1916

दिनांक :- 6-7-18

—: उपखण्ड कार्यालय बाड़मेर में अनुपयोगी एवं अप्रचलित

सामग्री की निलामी हेतु शर्तें :-

1. सामग्री जहां है, जैसी है, स्थिति में निलाम की जायेगी। सामग्री का अवलोकन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बाड़मेर से सम्पर्क कर किया जा सकता है।
2. इच्छुक बोलीदाता को निलामी हेतु 3320.00 रु. नकद धरोहर राशि के रूप में जमा करवानी होगी अन्यथा बोली में भाग नहीं ले सकेगा।
3. सफल बोलीदाता को समस्त राशि बोली समाप्ति के पश्चात् तुरन्त चालान द्वारा राजकोष में जमा करवानी होगी तथा 03 दिवस में सामग्री की सुपूर्दगी इस कार्यालय से प्राप्त करनी आवश्यक होगी अन्यथा जमा धरोहर राशि/बोली की राशि जब्त कर दी जावेगी।
4. सफल एवं प्रथम उच्चतम बोलीदाता के निर्धारित समय में राशि जमा कराने में असफल रहने पर द्वितीय, तृतीय उच्चतम बोलीदाता निलामी समिति द्वारा घोषित किया जा सकता है। उच्चतम बोली को स्वीकार करने हेतु यह कार्यालय बाध्य नहीं होगा।
5. सफल बोलीदाता को निलामी बोली पर नियमानुसार जीएसटी कर की राशि भी बोली की राशि के साथ अलग से जमा करानी होगी।
6. विवाद की दशा में इस कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर